सं0 सं0–टी–3/भवन–86/2016–1710/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक–24/07/2018

विषयः– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के परिसर में Renovation of E.I. in Administrative Building (Ground Floor) तथा Rewiring of Mechanical Workshop हेतु कुल राशि **14,98,674.00 (चौदह लाख अनठानवे हजार छः सौ चौहत्तर) रू0** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के परिसर में Renovation of E.I. in Administrative Building (Ground Floor) तथा Rewiring of Mechanical Workshop हेतु कुल राशि **14,98,674.00 (चौदह लाख अनठानवे हजार छः सौ चौहत्तर) रू0** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–557 (वि0), दिनांक–18/06/18 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

2– इस योजनान्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60–अन्य भवन, लघु शीर्ष 051–निर्माण, उप शीर्ष–0112–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड–**03-4059600510112**, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष-**0112.53.01** मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से किया जाएगा। कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में स्वतः आगे की वित्तीय वर्षों में संबंधित शीर्षों में उपबंधित/प्रावधानित राशि से व्यय किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17–04–1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी।

5– कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7– संचिका संख्या–टी–3/भवन–86/2016 के पृष्ठ –09/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भवन–86/2016 –1710 /प ट ना, दिनांक–24/07/2018

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भवन–86/2016 –1710 /प ट ना, दिनांक–24/07/2018

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर (प्राक्कलन की प्रति संलग्न)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/7/18
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
24/7/18